न्यायालय,जिला दण्डाधिकारी,अररिया

वाद संख्या–10/2020

अंदर धारा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा–3

सरकार

बनाम

मो0 जहीर, पे0–स्व0 जलील, सा0–भागकोहलिया, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
05.10.2020	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 333/डी0सी0बी0, दिनांक 28.09.2020) के साथ संलग्न अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फारबिसगंज के प्रस्ताव (पत्रांक 3171/अनु0, दिनांक 27.09.2020) के आधार पर मो0 जहीर, पे0–स्व0 जलील, सा0–भागकोहलिया, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रारम्भ की गई। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 333/डी0सी0बी0, दिनांक 28.09.2020) एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि मो0 जहीर, पे0–स्व0 जलील, सा0–भागकोहलिया, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया एक सक्रिय अपराधकर्मी है। इनका आचरण संदिग्ध है तथा आपराधिक रूप से सक्रिय है। इनके द्वारा मौका मिलते ही लोक शांति भंग किये जाने की संभावना है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इनके व्यवहार से समाज में काफी भय व्याप्त है। ये चोरी–छुपे आपराधिक घट्नाओं को अंजाम देते है। आगामी विधान सभा चुनाव, 2020 के मद्देनजर इनके द्वारा अपने आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण लोगों के बीच भय का माहौल बनाकर कमजोर वर्ग के मतदाताओं को वोट देने से वंचित कर सकता है, जिससे विधि व्यवस्था भंग होने की पूरी संभावना है। मो0 जहीर का आपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :- 1. फारबिसगंज थाना काण्ड संख्या–997/18, दिनांक 26.12.2018, धारा–25(1–बी)ए/26 आर्म्स एक्ट, आरोप पत्र संख्या–43/19, दिनांक 22.02.2019 2. फारबिसगंज थाना कांड संख्या–44/18, दिनांक 21.01.2017, धारा–457/379 भा0द0वि0, आरोप पत्र संख्या–77/17, दिनांक 23.03.2017 अररिया जिला में बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने/लोक व्यवस्था/विधि व्यवस्था/सुरक्षा का वातावरण एवं आमलोगों को प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रखने के लिए अपराधकर्मी मो0 जहीर, पे0–स्व0 जलील, सा0–भागकोहलिया, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम,1981 की धारा–3 अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, अररिया द्वारा की गयी है। उक्त के आलोक में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.09.2020 द्वारा आरोपी/अपराधकर्मी मो0 जहीर को अपना पक्ष रखने हेतु एवं आरोपों के संबंध में कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गयी। विपक्षी–मो0 जहीर की ओर से हाजिरी एवं कारण–पृच्छा दी गई। न्यायालय में उपस्थित विपक्षी–मो0 जहीर को सुना। विपक्षी का मुख्य कथन है कि वह शांतिप्रिय व्यक्ति है। कानून एवं सामाजिक नियमो का भलि–भाँति पालन करते है। फारबिसगंज थाना काण्ड संख्या–997/2018 अंदर धारा–25(1–बी)ए/26 आर्म्स एक्ट में सामाजिक, राजनीतिक के अन्तर्गत उन्हें फंसाया गया है। उक्त काण्ड में विपक्षी जमानत पर है एवं प्रत्येक नियत तिथि को न्यायलय में उपस्थित रहता है। फारबिसगंज थाना काण्ड संख्या–44/2018 अंदर धारा–457/379 भा0द0वि0 में भी विपक्षी निर्दोष रहते हुए फंसाया गया है, उनके पास से कोई भी सामान बरामद नहीं है। विपक्षी फारबिसगंज थाना क्षेत्र में किसी प्रकार का अशांति नहीं फैलाऐंगे, जिससे आम नागरिक भयभित हो एवं असुरक्षित महसूस करे, चूँकि विपक्षी शांतिप्रिय व्यक्ति है, वे आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। विपक्षी के कथनों एवं तर्को तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त तथा उपरोक्त घटनाओं के विवेचनोपरांत आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं प्रशांत कुमार	

सी0एच0, जिला दण्डाधिकारी,अररिया संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-2(डी)(i) के अन्तर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान-1860 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। जिस कारण बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत निरुद्धादेश जारी करते हुए आदेश देता हूँ कि मो0 जहीर **दिनांक-06.10.2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 07.11.2020 के पूर्वाह्न तक सप्ताह में दो दिन (मंगलवार तथा शनिवार) नरपतगंज थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे** तथा **थानाध्यक्ष, फारबिसगंज** के समक्ष अपना बंधपत्र इस आशय का निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे कि बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के अवसर पर उनके द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी/अशांति नहीं फैलायी जायेगी एवं न ही किसी भी मतदाता को दुष्प्रेरित करने का प्रयास किया जायेगा।

उक्त आदेश का संबंधित थानाध्यक्ष अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित अपराधकर्मी के गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। साथ ही अपराधकर्मी की उपस्थिति संबंधी सूचना प्रत्येक उपस्थिति के पश्चात पुलिस अधीक्षक,अररिया एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को भी आम जनता में प्रचार प्रचार हेतु भेजें एवं एक प्रति जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,अररिया को जिला के बेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित,

जिला दण्डाधिकारी,
अररिया

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2092 / विधि, दिनांक 7.10.2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से निदेश देने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से जनता में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, फारबिसगंज थाना एवं थानाध्यक्ष, नरपतगंज थाना को अनुपालन हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया

ज्ञापांक 2092 / विधि, दिनांक 7.10.2020

प्रतिलिपि : मो0 जहीर, पे0-स्व0 जलील, सा0-भागकोहलिया, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
अररिया।